FORM NO IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग

माया बनाम धर्मवीर वगै0

मुकदमा किरमः- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, नम्बर :- 50 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].06.2025	सायला के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायला के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायला के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायला के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैर सायलान इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 2634/0.23, 2652/0.40, 2653/0.36, 2656/0.20, 2655/0.61, किता-5 रकबा 1.80 हैक्टे0 वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बरान 1264/0.71, 1268/0.33 किता-2 रकबा 1.04 हैक्टे0 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर **रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने,** हेतु गैर सायलान संख्या 01 लगायत 15 को आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे। यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आयन्दा पत्रावाली वास्ते तलवी गैर सायल रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 17.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **(देवी सिंह)** **उपखण्ड अधिकारी एवं** **पदेन सहायक कलक्टर,** **डीग**	
17-7-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील व वादिया स्वयं उपस्थित अदालत आए। वकील वादिया ने प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि इन पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश व लोक अदालत की	नि. माया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	माया बनाम धर्मवीर
	भावना से राजीनामा हो गया है और वादिया मुताबिक राजीनामा अपने वाद एवं प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाना नहीं चाहती है। और वक्त मौजूदा खारिज कराना चाहती है। अत: प्रा पत्र विड्रो किये जाने उक्त एव अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर वाद एव प्रा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रो कर खारिज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे। अत: न्यायहित में वादिया का प्रा० पत्र स्वीकार फरमाया जाकर चूंकि मूल वाद को राजीनामा के स्तर पर विड्रो/खारिज किया गया है। अत: प्रा० पत्र में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा ब्रेकेट किया जाकर विड्रो/खारिज किया जाता है। अत: पत्रावली स्तर पर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner